

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रकरण क्रमांक 436 / 2015 सत्रवाद

संस्थिति दिनांक 23.12.2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर

जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1-बलराम दुवे पुत्र भागीरथ दुवे, उम्र 55 वर्ष, निवासी नाका चन्द्रवती मुडिया पहाड नहर वाली माता के पीछे, थाना झाँसी रोड ग्वालियर म0प्र0

2-शिवकांत दुवे, भण्डार प्रबंधक मालनपुर-----**फौत**

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 701 / 2009 इ0फौ0 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण कं0 436 / 2015

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//नि-र्ण-य//

// आज दिनांक 13-05-2017 को घोषित किया गया //

01. प्रकरण में आरोपी पर दिनांक 31.10.2007 से 07.11.2007 तक केन्द्रीय भण्डारण गृह मालनपुर पर जूनियर सुपरडेंट के पद पर होते हुए 146 बोरी गेहूँ बजन 101 क्विंटल 2 किलो 14 ग्राम कीमत 97,429/- रूपए को लोक सेवक होते हुए/अभिकर्ता होते हुए जो कि उसके अख्तियार में न्यस्त सम्पत्ति थी उसे बेईमानी से दुर्विनियोग किया अथवा सम्परिवर्तित किया एवं स्वयं के उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग कारित करने के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 409 का आरोप है।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि शिवकांत दुवे केन्द्रीय भण्डार गृह मालनपुर पर भण्डारगृह प्रभारी के पद पर पदस्थ होकर भण्डारगृह प्रबंधक एवं तकनीकी कार्य संबंधी कार्य देखते थे, जबकि बलराम दुवे कनिष्ठ अधीक्षक थे जिनके प्रभार में गोदाम क्रमांक 1 ए, बी, सी गोदाम क्रमांक 2 ए,बी,सी एवं गोदाम

क्रमांक 3 ए, बी, सी, डी का प्रभार था। दिनांक 30.10.2007 को तकनीकी प्रबंधक रजिस्टर के अनुसार रामप्रकाश वरिष्ठ सफाई वाले से गोदाम क्रमांक 3 के चट्टों पर देवा डालने के लिए कहा गया तथा रामप्रकाश के द्वारा चट्टों पर प्यूमीगेशन कर दिया गया था तथा गोदाम क्रमांक 3 डी के 10 व 9 में बोरिया कम होने की सूचना दी थी तथा इसकी सूचना प्रभारी बलराम दुवे को भी दी गई थी। गैस फैल जाने के कारण कबर नहीं खेले थे। इसी दौरान दिनांक 31.10.2007 को सामान्य निरीक्षण किया गया जो कि एम.एल.वर्मा के नेतृत्व में सदस्य इंदलसिंह एवं ए0के0 मल्होत्रा द्वारा किया गया था। चट्टों में भौतिक सत्यापन के पश्चात् 3डी की चट्टा क्रमांक 10 के ऊपर 146 बोरा कीमत 97,429/- रूपए कम पाए गए थे इसी प्रकार चट्टा क्रमांक 9 के भौतिक सत्यापन पर उसके ऊपर से 16 बोरे कम पाए गए थे जो कि नीचे पड़े थे जो कि बिटानियाँ इण्डस्ट्रीज के थे। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य भी ज्ञान में आया कि गोदाम के सभी ताले, रोशनदान व दरवाजे सही हालत में थे। वस्तुएं चोरी की कोई संभावना नहीं थी। जॉच समिति द्वारा समस्त संबंधितों से जबाव लिया गया एवं स्टाक रजिस्टर व सुसंगत अन्य दस्तावेज एवं जॉच के दौरान तैयार किए गए पंचनामे के साथ रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे केन्द्रीय भण्डार निगम भोपाल के महा प्रबंधक को भेजी गई, जिसके आवश्यक दस्तावेज इस प्रकरण में प्रस्तुत कराए गए। अनुसंधान के पश्चात् आरोपी बलराम दुवे एवं शिवकांत दुवे के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 409 का अपराध पाते हुए अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोगपत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही शिवकांत दुवे की मृत्यु हो गई थी और यह विचारण केवल आरोपी बलराम दुवे के विरुद्ध किया गया।

03. वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी के विरुद्ध धारा 409 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी – इंदलसिंह अ0सा0 1, ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2, सुदामालाल अ0सा0 3, एम0एल0 वर्मा अ0सा0 4, पप्पू उर्फ बीरेन्द्र अ0सा0 5, एम0एस0 वघेल अ0सा0 6, राजेन्द्रसिंह अ0सा0 7, आत्माराम शर्मा अ0सा0 8, धनीराम अ0सा0 9, सुरेश शर्मा अ0सा0 10 का परीक्षण कराया गया।

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए यह अभिकथन किया है कि वह घटना दिनांक को धर्मकांटा प्रभारी था, गोदाम प्रभारी नहीं था एवं उसे विभागीय जॉच में निर्दोष पाया गया है। बचाव में बचाव साक्षी स्वयं आरोपी बलराम दुवे ब0सा0 1 का कथन कराया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं—

1. क्या आरोपी दिनांक 03.11.2007 से लेकर 07.11.2007 तक केन्द्रीय भण्डारगृह मालनपुर में जूनियर सुपरडेंट के पद पर पदस्थ होते हुए लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा था?
2. क्या उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आरोपी को अभिकर्ता के नाते केन्द्रीय भण्डार गृह मालनपुर में रखी सम्पत्ति का अधिकार न्यस्त किया गया था?
3. क्या आरोपी ने न्यस्त सम्पत्ति के संबंध में 146 बोरी गेहूँ जिसका बजन 101 क्विंटल 2 किलो 14 ग्राम कीमती 97,429/- रुपए थे के संबंध में अपराधिक न्यास भंग कारित किया?
4. दण्डादेश यदि कोई हो?

॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 :-

06. साक्ष्य की सुगमता एवं पुनरावृत्ति से बचने हेतु सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आरोपी को भण्डार गृह मालनपुर का प्रभारी होने का आधार लिया गया है। अभियोजन कथानक अनुसार प्रकरण में परीक्षित साक्षी इंदलसिंह अ0सा0 1, ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2, एम0एल0 वर्मा अ0सा0 4 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेशानुसार मालनपुर वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया था, जिसमें निरीक्षण के दौरान 101 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया था। निरीक्षण दल का नेतृत्व एम.एल.वर्मा अ0सा0 4 के द्वारा किया गया था।

08. घटना के संबंध में यदि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाए कि क्या घटना अभिकथित समय में आरोपी बलराम दुवे मालनपुर वेयर हाउस में अभिकथित भाग के प्रभारी होकर लोक सेवक थे? और उनको अभिकथित भाग का प्रभार न्यस्त किया गया था? इस संबंध में यदि निरीक्षण दल के प्रभारी एम0एल0

वर्मा अ0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि दिनांक 04.11.2007 को क्षेत्रीय प्रबंधक के आदेशानुसार गोदाम के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया था। सत्यापन के दौरान स्टेक नम्बर एवं गोदाम नम्बर 3डी/10 का सत्यापन किया था। उस गोदाम के प्रभारी आरोपी बलराम दुवे थे। यदि इस संबंध में निरीक्षण दल के अन्य सदस्य इंदलसिंह अ0सा0 1, ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों का अपने कथनों में भी यही कहना रहा है कि दिनांक 04.11.2007 को वेयर हाउस के गोदाम क्रमांक 3डी के चट्टा क्रमांक 10 का भौतिक सत्यापन किया था और उस समय प्रभारी आरोपी बलराम दुवे थे। साक्षी सुदामालाल अ0सा0 3 जो कि तत्कालीन समय वेयर हाउस में पल्लेदार का काम करता था ने भी अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उस समय शिवकांत दुवे वेयरहाउस प्रबंधक थे और बलराम दुवे वेयरहाउस में अधिकारी थे।

09. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्र.पी. 27 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो कि आरोपी बलराम दुवे के प्रभारी बनने का आदेश है, इस तथ्य को साक्षी ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2 ने प्रमाणित किया है। यदि प्र.पी. 27 के दस्तावेज का अवलोकन किया जाए जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि भण्डारगृह प्रबंधक द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2007 के द्वारा आरोपी बलराम दुवे को भण्डारगृह क्रमांक 1 के ए, बी, सी भण्डारगृह क्रमांक 2 के ए, बी, सी एवं भण्डारगृह क्रमांक 3 के ए, बी, सी, डी का प्रभारी बनाया गया है तथा प्रभारी अधिकारी के क्या क्या कार्य होंगे उनका उल्लेख किया गया है। अतः साक्षियों के कथनों की पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत प्र.पी. 27 के दस्तावेज से होती है कि भण्डार गृह क्रमांक 3डी के प्रभारी तत्कालीन समय आरोपी बलराम दुवे थे। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि आरोपी बलराम दुवे कुछ अवधि में अवकाश पर थे, वह पृथक विषय है जिसका विवेचन आगे किया जाएगा, किन्तु प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि तत्कालीन समय आरोपी बलराम दुवे भण्डारगृह क्रमांक 3डी के प्रभारी थे। बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार नहीं लिया गया है कि आरोपी भण्डारगृह में लोक सेवक के रूप में कार्यरत था।

10. अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी बलराम दुवे अभिकथित दिनांक को भण्डारगृह मालनपुर में कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर कार्यरत होते हुए एक लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा था तथा भण्डारगृह क्रमांक 3 “डी” के प्रभारी अधिकारी थे तथा उन्हें उक्त गोदाम का प्रभार न्यस्त किया गया था।

11. अभियोजन की ओर से यह आधार लिया गया है कि आरोपी बलराम दुवे ने न्यस्त सम्पत्ति के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया। यदि इस संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तथा निरीक्षण दल के प्रभारी साक्षी एम.एल. वर्मा अ0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि गोदाम के सत्यापन के दौरान गोदाम नम्बर 3डी/10 में गेहूँ के बारे 2800 होने चाहिए थे किन्तु भौतिक सत्यापन के दौरान 2654 गेहूँ के बोरे पाए गए थे और इस प्रकार 146 बोरे कम पाए गए थे, जिसका बजन 87 क्विंटल 38 किलो 830 ग्राम है। इस साक्षी का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि उसी गोदाम में 3डी/09 जिसमें गेहूँ के 1728 बोरे होने चाहिए थे, भौतिक सत्यापन के दौरान 1712 बोरे स्टेक के अंदर तथा 16 गेहूँ के बोरे जिनका बजन कम था गली में पाए गए थे और जिनमें लगभग 2 क्विंटल 20 किलो बजन था। इस प्रकार 13 क्विंटल 63 किलो 184 ग्राम की कमी पाई गई थी और इस संबंध में जॉच कमेटी ने प्र.पी. 6 का निष्कर्ष तैयार किया था जिस पर कमेटी के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।

12. साक्षी एम.एल. वर्मा अ0सा0 4 के कथनों की पुष्टि निरीक्षण दल के सदस्य इंदलसिंह अ0सा0 1 एवं ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2 के द्वारा अपने कथनों में की गई है।

13. साक्षी इंदलसिंह अ0सा0 1 एवं साक्षी ए0के0मल्होत्रा अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों के कथनों में यह तथ्य आया है कि भौतिक सत्यापन के दौरान वेयरहाउस के कक्ष के सभी ताले, रोशनदान सही हालत में पाए गए थे। इस संबंध में उनके द्वारा वेयरहाउस में काम करने वाले संबंधित व्यक्तियों से जबाब लिए थे एवं वस्तुओं को शील किया था, जिनका पंचनामा तैयार किया था तथा उस पर संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए थे। घटना के संबंध में भण्डारगृह में कार्यरत सुरक्षागार्ड एवं स्टाप से ली गई जानकारी से संबंधित दस्तावेज जॉच में संलग्न किये थे जो कि प्रकरण में प्रस्तुत प्र.पी. 18 लगायत 23 है। हालांकि ऐसे सभी व्यक्तियों को प्रकरण में साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है, किन्तु प्रकरण में साक्षी इंदलसिंह अ0सा0 1 ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2 एवं एम.एल.वर्मा अ0सा0 4 के द्वारा की गई जॉच में संलग्न दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि निरीक्षण दल ने विस्तृत और गहन जॉच की थी जिससे संबंधित दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

14. प्रकरण में इस स्टेज पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अभिकथित गेहूँ स्टॉक रजिस्टर अनुसार कम पया गया? यदि इस संबंध में साक्षी इंदलसिंह अ0सा0 1 एवं ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों का अपने कथनों में कहना रहा है कि 3डी के चट्टा क्रमांक 10 में कुलमिलाकर 146 बोरे

कम पाए थे तथा चट्टा क्रमांक 9 के 16 बोरे जमीन पर पाए गए थे जो विटानियाँ इण्डस्ट्रीज के थे। प्रकरण में संबंधित वेयरहाउस का स्टॉक रजिस्टर प्र.पी. 4 के जप्तीपत्रक के माध्यम से जप्त किया है। मौके पर स्टॉक कम पाए जाने का पंचनामा प्र.पी. 13 एवं 14 प्रस्तुत किया गया है जो कि स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात् गेहूँ कम पाये जाने के संबंध में है तथा गोदाम के स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 15 भी प्रस्तुत की गई है। यदि प्र.पी. 13 के स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया जाए जिसमें कि भण्डारगृह में रखे चट्टा अनुसार संख्या दर्शित होती है जिसके अवलोकन से दर्शित होता है कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल ने अपने कथनों में अभिव्यक्त कमियाँ पाई थी और स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहूँ की मात्रा निरीक्षण के दौरान कम पाई थी।

15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी सुदामालाल अ0सा0 3 जिसको घटना के समय अभिकथित वेयरहाउस में पल्लेदारी करने का आधार लिया गया है के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि शिवकांत दुवे के कहे अनुसार वह दिनांक 30.10.2007 को गोदाम नम्बर 3डी के चट्टा क्रमांक 5 पर कबर कर रहा था, तब उसने देखा कि चट्टा क्रमांक 10 में बोरे कम दिखाई दे रहे हैं और जब उसने नजदीक जाकर देखा तो लगभग 80 बोरे कम थे और यह बात उसने तत्कालन शिवकांत दुवे को बताई थी, तब शिवकांत दुवे ने कहा था कि बोरे कम नहीं हो सकते, किन्तु जब शिवकांत दुवे ने स्वयं ऊपर चढ़कर देखा तो चट्टे कम पाए थे फिर उन्होंने कहा था कि एडजस्ट हो जाएगा किसी से कम कहना। इसी साक्षी का यह भी कहना रहा है कि फिर उसने चट्टा नम्बर 9 में 15 बोरे कम पाए थे, फिर उसने जाकर यह बात बलराम दुवे को बताई थी तो बलराम दुवे ने बोरो को कबर कर दवाई डलवा दी थी।

16. साक्षी के कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान यह तथ्य आया है कि उसने दिनांक 30.10.2007 को ही बलराम दुवक को आवास पर जाकर यह बता बता दी थी जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि दिनांक 30.10.2007 को ही बलराम दुवे को बोरो की कमी की जानकारी थी, किन्तु जैसा कि यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में ही कहता है कि बलराम दुवे को बताने के बाद बलराम दुवे पहुँचे और बोरो को कबर कर दवाई डलवा दी। इस तथ्य से ऐसा दर्शित होता है कि आरोपी बलराम दुवे को बोरो की कमी की जानकारी अच्छी तरह थी। आरोपी बलराम दुवे द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की हो, किसी व्यक्ति से पूछताछ की हो, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बोरो की कमी होने की सूचना दी हो ऐसा आरोपी की ओर से आधार नहीं लिया गया है और न ही ऐसी परिस्थितियाँ दर्शाई गई हैं।

17. बचाव पक्ष की ओर से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि बीच बीच में बलराम दुवे अवकाश

पर रहते थे तो बलराम दुवे का प्रभार शिवकांत दुवे के पास होता था। इस तथ्य को अभियोजन साक्षियों ने स्वीकार भी किया है और अभियोजन साक्षियों के कथनों में यह तथ्य आया भी है कि आरोपी बलराम दुवे कुछ समय अवकाश पर रहे थे। प्रकरण में यह तथ्य भी आया है कि आरोपी बलराम दुवे गोदाम के प्रभार के साथ साथ धर्मकांटा प्रभारी भी थे, किन्तु बचाव पक्ष की ओर से लिया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वेयरहाउस प्रभारी को धर्मकांटा प्रभारी बनाये जाने से वेयरहाउस की कोई जबाबदारी नहीं होती। प्रायः शासकीय कार्यालयों में अथवा अर्द्धशासकीय कार्यालयों में किसी प्रभारी के अवकाश की दशा में किसी अन्य व्यक्ति को वैकल्पिक रूप से प्रभार दिया जाता है इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह व्यक्ति जिस मूल कार्य के प्रभार में है उस दायित्व से उन्मोचन हो जाता है। प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि भण्डारगृह नियमावलि में ऐसा कोई प्रावधान हो जिससे बचाव पक्ष की ओर से लिये गए इस आधार को सत्य माना जा सके कि अतिरिक्त विषय का प्रभार प्राप्त होने पर मूल प्रभार से दायित्व का उन्मोचन हो जाता है।

18. बचाव पक्ष की ओर से एक प्रतिवाद यह भी लिया गया है कि बीच बीच में शिवकांत दुवे आरोपी के अवकाश पर जाने से प्रभार में रहे थे, उनके द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये गए हैं। ऐसी स्थिति में केवल मात्र आरोपी को ही गेहूँ की मात्रा में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

19. यह सही है कि कुछ समय शिवकांत दुवे अभिकथित वेयरहाउस के प्रभार में रहे हैं, किन्तु यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि निरीक्षण दल ने अपनी गहन जाँच में ऐसा नहीं पाया कि शिवकांत दुवे न्यास भंग में शामिल हैं, बल्कि केवल शिवकांत दुवे को अपने कार्य में बिजिलेंट न रहने संबंधी तथ्य पाया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सुदामालाल अ0सा0 3 जो कि चट्टों में पल्लेदारी का काम करता था बोरे की कमी के संबंध में शिवकांत दुवे के साथ साथ प्रभारी आरोपी बलराम दुवे को भी सूचना दी गई है, किन्तु उसके उपरांत भी आरोपी बलराम दुवे द्वारा इस विषय पर संज्ञान न लेने और बोरे को कबर करवाकर दवाई डलवाना आरोपी बलराम दुवे के विरुद्ध निष्कर्ष निकाले जाने के आधार देता है।

20. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी पप्पू उर्फ वीरेन्द्र अ0सा0 5 का परीक्षण कराया गया है। यह साक्षी शिवकांत दुवे को वेयरहाउस का मैनेजर होना बताता है और उनकी अनुपस्थिति में आरोपी के द्वारा कार्य करने संबंधी कथन करता है, किन्तु संबंधित वेयरहाउस के प्रभारी कौन थे इस संबंध में साक्षी के कथन नहीं रहे हैं। प्रकरण में साक्षी राजेन्द्रसिंह अ0सा0 7 जो कि तत्कालीन समय सिक्थोरिटीगार्ड के पद पर पदस्थ थे ने अपने

कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि कि अभिकथित समय में गोदाम में हमेशा ताले लगे मिलते थे और वेयरहाउस में चोरी की कोई घटना नहीं घटी थी। इस तथ्य की पुष्टि साक्षी धनीराम अ०सा० 9 के द्वारा भी की गई है।

21. प्रकरण की विवेचना साक्षी सुरेश शर्मा अ०सा० 10, आत्माराम शर्मा अ०सा० 8 एवं एम.एस. वघेल अ०सा० 6 के द्वारा की गई है। साक्षी एम.एस. वघेल अ०सा० 6 के द्वारा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए हैं। साक्षी आत्माराम शर्मा अ०सा० 8 एवं सुरेश शर्मा अ०सा० 10 के द्वारा प्रकरण में वेयरहाउस से संबंधित दस्तावेज जप्त किए गए हैं तथा जप्ती के तथ्यों को प्रमाणित किया है।

22. प्रकरण में आरोपी बलराम दुवे ने स्वयं अपने आपको बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है और यह आधार लिया है कि शिवकांत दुवे ही वेयरहाउस के मेनेजर थे और गोदाम को खोलने बंद करने का आदेश शिवकांत दुवे पर ही रहता था, जबकि बृजेश पाटनकर वेयरहाउस के केंसियर थे तथा दिनांक 01.09.2007 से 07.09.2007 तक समस्त स्टाप के अवकाश पर होने संबंधी कथन किए हैं और उस दौरान प्रबंधक शिवकांत दुवे ने वेयरहाउस में सम्पूर्ण कार्य अकेले किया था।

23. बचाव साक्षी बलराम दुवे अ०सा० 1 दिनांक 01.09.2007 से 07.09.2007 तक स्वयं के अवकाश पर होने और वेयरहाउस में शिवकांत दुवे के अकेले काम करने के संबंध में कथन करते हैं, किन्तु इस संबंध में सुदामालाल अ०सा० 3 के कथनों में आए तथ्य कि दिनांक 30.10.2007 को 3डी के चट्टे क्रमांक 10 व 09 में बोरों की कमी पाए जाने पर सूचना देने के उपरांत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और उक्त चट्टों को गबर कराकर दवाई डलवा दी इसका कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों में नहीं है।

24. किसी भी व्यक्ति के प्रभार में दी गई सम्पत्ति की नैतिक व विधिक जबाबदेही संबंधित व्यक्ति की होती है और यदि वह यह आधार लेता है कि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में उसके द्वारा नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया है, तब उस दशा में इस तथ्य को सिद्ध करने का भार कि परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई दे रही हैं, बल्कि परिस्थितियाँ वैसी हैं जैसा बचाव लिया जा रहा है, तब उस दशा में अत्यन्त विश्वसनीय साक्ष्य से उस तथ्य को प्रमाणित करने का सिद्धिभार उस व्यक्ति पर है जो ऐसा बचाव लेता है।

25. केवल मात्र किसी व्यक्ति के प्रभार में रहने से यह उपधारणा नहीं की जा सकती है, जबकि उसके संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर न हो कि उस सम्पत्ति के संबंध में अपराध उसी व्यक्ति के द्वारा किया

गया है।

26. प्रकरण में मृत शिवकांत दुवे भण्डारगृह के प्रबंधक थे, जबकि आरोपी वेयरहाउस के गोदाम क्रमांक 1- ए,बी,सी, 2- ए, बी,सी एवं 3 -ए,बी,सी, डी का प्रभारी था। बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि जो भी आपराधिक कृत्य किया गया है वह शिवकांत दुवे द्वारा किया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी सुदामालाल अ0सा0 3 ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 30.10.007 को 3डी के चट्टा क्रमांक 09 एवं 10 में कम बोरे होने की जानकारी उसने आरोपी बलराम दुवे को दी थी। ऐसी स्थिति में निरीक्षण दल द्वारा दिए गए भौतिक सत्यापन के पूर्व ही बोरा कम होने का तथ्य आरोपी बलराम दुवे की जानकारी में था, किन्तु ऐसी स्थिति होते हुए भी बलराम दुवे द्वारा कोई कार्यवाही की हो ऐसा आधार नहीं लिया है।

27. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 निम्न अनुसार है:-

106- विशेषतः ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार- जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

28. दण्ड विधि शास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पर अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार है और यह कभी परिवर्तित नहीं होता है किन्तु जहाँ पर अभियोजन अपनी साक्ष्य से किसी तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित कर देता है, तब उस स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 ऐसे व्यक्ति पर सुसंगत प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप उस तथ्य के विरुद्ध जो तथ्य अभियोजन की ओर से साबित कर दिया गया है, भार आरोपी पर होता है तथा विशेषतः कोई तथ्य आरोपी के ज्ञान में है तो वह उसे साबित करे। सुसंगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से विश्वसनीय साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है कि जिस गोदाम में गेंहूँ कम पाया गया उसका प्रभार आरोपी बलराम दुवे के पास था। प्रकरण में विस्तृत जाँच के बाद भी चोरी की संभावना सामने नहीं आई है। प्रकरण में यह तथ्य भी प्रमाणित हुआ है कि भौतिक सत्यापन के पूर्व ही गेंहूँ कम होने की जानकारी आरोपी बलराम

दुवे को भी। ऐसी स्थिति में आरोपी स्वयं द्वारा अपने प्रभार के गोदाम में गेहूँ के संबंध में आपराधिक न्यास भंग नहीं किया गया प्रमाणित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत अपने बचाव को सावित करने का सिद्धिभार, कि गेहूँ के दुर्विनियोजन में केवल शिवकांत दुवे या अन्य व्यक्तियों का हाथ है आरोपी बलराम दुवे पर है।

29. आरोपी बलराम दुवे की ओर से इस प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रकरण की परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाले जाने का आधार उत्पन्न होता हो कि आरोपी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति गेहूँ के संबंध में दुर्विनियोजन कर सकता था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का दृष्टांत "क" आरोपी पर यह भार अधिरोपित करती है कि वह उन परिस्थितियों या आशय के संबंध में व तथ्यों को सावित करे जो आरोपी के ज्ञान में है, कि उसके द्वारा अपने प्रभार एवं न्यस्त की गई सम्पत्ति के संबंध में न्यास भंग नहीं किया है, किन्तु अभियुक्त की ओर से इस भार का उन्मोचन नहीं किया गया।

30. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत कृष्णकुमार विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया ए.आई.आर. 1959 सुप्रीम कोर्ट 1390 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले भार के संबंध में निम्न संप्रेक्षण दिया है, जो अवलोकनीय है:-

It is not necessary or possible in every case to prove in what precise manner the accused person has dealt with or appropriated the goods of his master. The question is one of intention and not a matter of direct proof but giving a false account of what he has done with the goods received by him may be treated a strong circumstance against the accused person. In the case of a servant charged with misappropriating the goods of his master the elements of criminal offence of misappropriation will be established if the prosecution proves that the servant received the goods, that he was under

a duty to account to his master and had not done so. If the failure to account was due to an accidental loss then the facts being within the servant's knowledge, it is for him to explain the loss. It is not the law of this country that the prosecution has to eliminate all possible defences or circumstances which may exonerate him. If these facts are within the knowledge of the accused then he has to prove them. Of course the prosecution has to establish a prima facie case in the first instance. It is not enough to establish facts which give rise to a suspicion and then by reason of S. 106 of the Evidence Act to throw the onus on him to prove his innocence. See Harries C.J. in Emperor v. Santa Singh, AIR 1944 Lah 339 at p. 345

31. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत अभियुक्त पर आये भार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा विरुद्ध राज्य (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) ए.आई.आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 2352 में यह अभिमत रखा है कि कोई विशिष्ट तथ्य अभियुक्त की जानकारी में होना प्रमाणित हो जाता है और यदि वह उसके संबंध में असत्य जानकारी देता है, ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा की जायेगी। इस संबंध में उक्त माननीय न्याय दृष्टांत के निर्णय में किया गया निम्न संप्रेक्षण अवलोकनीय है

:-

"It is pointed out that Section 106 of the Evidence Act is not intended to relieve the prosecution of its burden to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, but the section would apply to cases where the prosecution has succeeded in proving facts for which a reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts, unless the accused by virtue of special knowledge regarding such facts failed to offer any

explanation which might drive the court to draw a different inference"

32. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इन तर्कों पर भी अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि साक्षी इंदलसिंह अ०सा० 1, ए०के० मल्होत्रा अ०सा० 2 एवं एम.एल.वर्मा अ०सा० 4 को निरीक्षण दल का सदस्य बनाया गया है। यह सही है कि स्पष्टतः उक्त आशय का कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु साक्षी एल.एल.वर्मा अ०सा० 4 दिनांक 31.10.2007 को वरिष्ठ सहायक प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में पदस्थ थे। इसी प्रकार साक्षी ए०के० मल्होत्रा सहायक महाप्रबंधक के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में पदस्थ थे, साथ ही साक्षी इंदलसिंह अ०सा० 1 मुरैना में भण्डारगृह प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। उक्त तीनों ही साक्षी लोक सेवक हैं इस संबंध में जाँच की गई और आरोपी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा जाँच दल के सदस्य के नाते साक्षियों को लिखित चाही गई जानकारी दी जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि उक्त साक्षियों द्वारा घटना के संबंध में अपने वरिष्ठ कार्यालय के आदेश से जाँच की कार्यवाही सम्पादित की गई। ऐसी स्थिति में केवल स्पष्ट आदेश न होना साक्षियों के द्वारा जाँच किए जाने के तथ्य को अधिकारिताविहीन नहीं कहा जा सकता है।

33. बचाव पक्ष की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि आरोपी बलराम दुवे को विभागीय जाँच में मुक्त कर दिया गया है। विभागीय जाँच में आरोपी को मुक्त किया गया हो अथवा नहीं इस संबंध में कोई दस्तावेज बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विभागीय जाँच में क्या कार्यवाही हुई इस समय विचारणीय नहीं है, क्योंकि आपराधिक प्रकरण का निराकरण प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर होता है।

34. बचाव पक्ष की ओर से एक आधार यह भी लिया गया है कि शिवकांत दुवे पर पूर्व में आपराधिक न्यास भंग का आरोप भी लग चुका है और आवेदक/अभियुक्त पर इस प्रकार का कोई आरोप कभी नहीं लगा है। शिवकांत दुवे पर पूर्व में कोई आरोप लगा हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में

प्रस्तुत नहीं किया गया है और आरोपी पर पूर्व में कोई आरोप नहीं लगा है इस कारण केवल उपधारणा कर ली जाए कि आरोपी अभिकथित कृत्य नहीं कर सकता है ऐस विधि अनुज्ञात नहीं करती है।

35. प्रकरण में साक्षी इंदलसिंह अ0सा0 1, ए0के0 मल्होत्रा अ0सा0 2 एवं एम.एल. वर्मा अ0सा0 4 के कथनों की पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य, निरीक्षण दस्तावेज एवं स्टॉक रजिस्टर से होती है। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

36. अतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी बलराम दुवे ने लोक सेवक होते हुए एवं अपने प्रभार के भण्डारगृह में 146 बोरा गेहूँ के संबंध में दुर्विनियोग कर अथवा सम्परिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया।

37. अतः आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 409 का अपराध संदेह से परे प्रामाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। परिणामतः आरोपी बलराम दुवे को भा.द.वि की धारा 409 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

38. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्चयः—

39. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी रिटायर्ड हो गया है, पूर्व में कोई आरोप न तो लगा है और न प्रमाणित हुआ है तथा वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु का है। ऐसी दशा में उसे न्यूनतम दण्ड से दंडित किया जावे। जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि इस प्रकार की घटना समाज में विपरीत प्रभाव डालती है और दण्ड में नरमी वर्तमान परिदृश्य में

लोक सेवक के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। जिनके अधिकार में लोक सम्पत्तियाँ न्यस्त रहती हैं और इसी आधार आरोपी को कठोर दण्ड से दंडित किये जाने की प्रार्थना की है।

40. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में आरोपी पर भण्डारगृह के प्रभारी होते हुए प्रभार में दी वस्तु का आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध प्रमाणित पाया गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना जिनमें लोकसेवक द्वारा न्यस्त सम्पत्तियों के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया हो गंभीर अपराध है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत उभय पक्ष की तर्क एवं प्रावधानित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी बलराम दुवे को भा.द.वि की धारा 409 के अपराध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास प्रथक से भुगताया जावे।

41. आरोपी जमानत पर होने से उसके जमानत मुचलके एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

42. आरोपी जमानत पर है, उसका सजा वारंट तैयार कर उप जेल गोहद भेजे जावे।

43. आरोपी का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्रकरण के साथ तैयार कर संलग्न किया जावे।

44. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे एवं एक प्रति कलेक्टर भिण्ड को अपर लोक अभियोजक के माध्यम से भेजी जावे।

45. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)